

जनसंपर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन

वांडेयो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जनसंपर्क श्री पी.नरहरि की अध्यक्षता में दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के विन्ध्यांचल स्थित एन.आई.सी कक्ष में आयोजित हुई।

- आयुक्त, जनसंपर्क द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय एवं जिला मुख्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार की बहुत सी गतिविधियाँ आयोजित होनी है। इन सभी गतिविधियों का जनसंपर्क अधिकारी पूरी तम्यता से प्रचार-प्रसार का कार्य करें।
- आयुक्त ने निर्देश दिये कि आगामी 19 से 22 दिसम्बर 2017 तक एकात्म यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
- संभाग एवं जिले में आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों का फोटो और वीडियो कवरेज अनिवार्य रूप से करवाया जाए। वीडियो कवरेज को यथाशीघ्र एफ.टी.पी के माध्यम से संचालनालय को भेजे। एफ.टी.पी. से वीडियो फुटेज भेजने के लिए कार्यालय के एक कर्मचारी को प्रशिक्षित भी करें।
- जिला कलेक्टर के साथ पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाना सुनिश्चित करें।
- जिले में हो रहे विकास कार्यों का पत्रकारों को अवलोकन कराने के लिए प्रेसटूर भी आयोजित कियें जाएं। प्रेसटूर के आयोजन की स्वीकृति संचालनालय से प्राप्त करें।
- स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संभागीय कार्यालय संभाग के अंदर और जिला कार्यालय जिले की सीमा में प्रेस टूर का आयोजन आगामी एक माह में सुनिश्चित करें। प्रेसटूर के लिए विधिवत मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें। प्रेसटूर में विकास कार्यों का अवलोकन आवश्यक रूप से शामिल हो।
- सभी संभागीय एवं जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान स्थानीय पत्रकारों की उनसे भेंट हो। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ से सम्पर्क करं सहयोग लिया जाये।
- संभाग एवं जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व उस क्षेत्र की समस्याओं, स्थानीय नागरिकों की मांग और वहाँ की विशेष उपलब्धियों का नोट मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ को भेजें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व से ही अवगत कराया जा सकें। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के पश्चात् जो समाचार प्रकाशित होते हैं, उनकी कतरने मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ को अगले दिन प्रातः 08 बजे तक ई-मेल से भेजें।
- मुख्य कार्यक्रमों के कवरेज उपरान्त अगले दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों की पेपर कटिंग संचालनालय भेजे और संबंधित विभाग को भी अवगत करवायें। माननीय मुख्यमंत्री के प्रवास संबंधित समाचार पत्रों का बंच पूर्व व्यवस्था अनुसार संचालनालय को अनिवार्य रूप से भेजें।
- आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी मैदानी अधिकारी अपने प्रभार वाले क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों, घटनाओं, धरना, आन्दोलन आदि की खबरों से तत्काल अवगत करायें। साथ ही क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई नकारात्मक खबरों के संबंध में समय रहते मुख्यालय सहित संभागीय कमिशनर/जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायें। नकारात्मक खबरों के संबंध में वस्तुस्थिति का मता लगाएं। ताकि समय रहते वास्तविक स्थिति का प्रकाशन/प्रसारण संबंधित समाचार पत्र/इले. मीडिया में करवाया जा सकें।
- आयुक्त ने कहा कि जिले में शासन की संचालित जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सतत नजर रखी जायें। सभी अधिकारी अपने जिले में सूचना तंत्र को प्रभावी बनायें ताकि जिले में होने वाली घटना-दुर्घटना की जानकारी उन्हें तत्काल मिल सकें।

- प्रिन्ट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सूचनाओं पर नजर रखें और ऐसी नकारात्मक खबरें जो शासन की छवि को धूमिल कर सकती है उनकी वस्तुस्थिति संबंधित विभाग से प्राप्त कर शासन का पक्ष रखा जायें। जनसंपर्क अधिकारी अपने क्षेत्र में ऐसे प्रमुख व्हाट्सअप ग्रूप्स में शामिल हो जो पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, ताकि सभी प्रकार की खबरों पर नजर बनी रहें।
- आयुक्त ने बताया कि शीघ्र ही जनसंपर्क अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया वर्कशॉप आयोजित की जायेगी, जिससे सभी अधिकारी सोशल मीडिया में दक्षता से कार्य कर सकें।
- अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन की फ्लेगशिप योजनाओं पर प्राथमिकता से सफलता की कहानियां प्रकाशित की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान योजनाओं संबंधी प्रचार सामग्री का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए।
- प्रकाशन सामग्री के लिए संचालनालय को मांग पत्र भेजा जा सकता है। आयुक्त ने कहा कि जो प्रचार सामग्री संचालनालय स्तर से भेजी जाती है। उसका वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शासकीय कार्यक्रमों अनिवार्य रूप से करें।
- आयुक्त ने भावान्तर भुगतान योजना पर समस्त अधिकारियों को विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिये। उज्जैन में भावान्तर योजना के उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार कार्य की आयुक्त जनसंपर्क ने प्रशंसा की और निर्देश दिये कि आगामी 25 दिसम्बर को पूरे प्रदेश में भावान्तर भुगतान के अन्तर्गत एक साथ एक ही समय पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें। सभी जिलों में माननीय मंत्रीगण जायेंगे, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
- शासन द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों एवं संकल्पों के संदर्भ में जिले के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं पुरस्कार प्राप्त विद्वान एवं महान हस्तियों के विचार लिए जाकर उनका प्रचार-प्रसार किया जाए। अपने जिले की प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित माइलस्टोन तैयार करें।
- आयुक्त ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश संदेश के लिए फोटो सहित गुणवत्तापूर्ण आलेख नियमित रूप से भेजे जाए। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर अच्छे रचनाकार एवं साहित्यकारों को शासन के निर्णयों एवं योजनाओं पर आधारित आलेख लिखने के लिए प्रेरित करें।
- आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएँ। पारिवारिक या अस्वस्था के मामले में भी समय रहते अपने वरिष्ठों को बतायें अन्यथा कार्यवाही की जायेगी।
- आयुक्त ने बताया गया कि आने वाले समय में विभिन्न जिलों में पत्रकारों के दल भेजे जायेंगे, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र की सफलता की कहानी और सकारात्मक समाचारों से अवगत करायें।
- विभाग का डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल अच्छा प्लेट फॉर्म है, इसे अप-टू-डेट रखें। पोर्टल पर अपने क्षेत्र के दर्शनीय, ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों और पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ जिले की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी शामिल करवाई जाएं।
- पत्रकार कल्याण से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण शीघ्र-अतिशीघ्र करें। स्थानीय पत्रकारों से समन्वय बनाकर चलें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्रकारों को उनके कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आयें।
- बहुधा देखा गया है कि पत्रकारों के विरुद्ध अपराध प्रकरण दर्ज होने पर पत्रकार संगठनों में रोष की स्थिति बनती है। इस तरह के प्रकरणों की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और मेरे संज्ञान में लायें।
- जिला अधिकारी अपने जिला मुख्यालय से प्रकाशित समाचार-पत्रों, वैनल के ब्यूरो प्रमुख से निरन्तर व्यक्तिगत रूप से मेल-मुलाकात करें। इसी प्रकार संभागीय कार्यालय प्रमुख अपने प्रभार क्षेत्र के जिलों का दौरा कर स्थानीय सम्पादकों/पत्रकारों से आवश्यक रूप से भेंट करें।

आयुक्त ने बताया कि यह पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को शाम 4.30 बजे से 5.30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमित रूप से होगी।

संभागीय/जिला अधिकारियों की समस्याएँ और सुझाव

1. संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय, रीवा/ग्वालियर/सांगर/शहडोल/उमरिया/सीहोर/सिंगरौली/डिण्डोरी/मंदसौर/नीमच/शिवपुरी/अशोकनगर/सतना/सीधी तथा कटनी कार्यालयों ने कार्यालयीन कार्य में सुविधा के लिए स्टेनोटायपिस्ट/कर्लक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांग की है। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि नियमित कर्मचारी देना सम्भव न हो तो जॉब वर्क/कुशल/अंशकालिक श्रमिकों से कार्य लेने की अनुमति दी जाए।

(कार्यवाही- प्रशासन प्रभाग)

2. संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय, ग्वालियर/धार/बुरहानपुर/सिंगरौली तथा आगर-मालवा में अधिकारियों की कमी बताते हुए पूर्ति का अनुरोध किया गया है।

(कार्यवाही- प्रशासन प्रभाग)

3. संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा तथा ग्वालियर ने फोटो ग्राफर की व्यवस्था अथवा कुशल श्रमिक से कार्य कराये जाने का अनुरोध किया है।

(कार्यवाही- प्रशासन प्रभाग)

4. संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा/होशंगाबाद/मुरैना तथा उज्जैन ने लेखा कार्य के लिए कम्प्यूटर की मांग की है। इसी तरह संभागीय जनसंपर्क कार्यालय उज्जैन ने लेपटॉप की कमी बताई और मुरैना ने पुराने लेपटॉप को बदलने की जरूरत बतायी है।

(कार्यवाही- संचार प्रभाग)

5. संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय ग्वालियर/मुरैना तथा शिवपुरी ने पुराने फोटो कैमरे के स्थान पर नवीन तकनीकी के फोटो कैमरे उपलब्ध कराने की मांग की।

(कार्यवाही-फोटो फिल्म प्रभाग)

6. संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय ग्वालियर/रीवा तथा रायसेन ने पुराने शासकीय वाहन के स्थान पर नये वाहन देने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय जबलपुर/सांगर/उज्जैन/इंदौर तथा मुरैना में अधिकारियों की संख्या ज्यादा होने तथा वाहनों की कमी होने से अतिरिक्त वाहन देने का निवेदन किया है।

(कार्यवाही- वाहन प्रभाग एवं प्रेसटूर प्रभाग)

आयुक्त ने संभागीय एवं जिला कार्यालयों द्वारा की गई मांगों के संबंध में संबंधित अपर संचालकों को निर्देश दिए कि नियमानुसार जो कार्यवाही की जाना है उसे तत्काल की जायें, जिससे कि अधीनस्थ जनसंपर्क कार्यालयों की आवश्यकताएँ को पूरा किया जा सके।

(आयुक्त, द्वारा अनुमोदित)

Mr. Anil Mather

(अनिल माथर)

संचालक, जनसंपर्क

पृ.क्रमांक ए-10-54/2017/जसंसंस्था./वी.सी./
प्रतिलिपि:-

8245

/भोपाल, दिनांक/११/१२/२०१७

1. प्रमुख/अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री, जनसंपर्क विभाग भोपाल।
3. स्टेनो आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल।
4. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक (संदर्भ/लेखा/समाचार/प्रकाशन) जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल।
6. संचालनालय के समस्त अधीनस्थ कार्यालय।
7. स्टाक/रिकार्ड।

(डॉ. एच.एस. चौधरी)

*B*अपर संचालक (प्रशासन)